



घर खरीदने पर आयकर में मिले ज्यादा छूट

नई दिल्ली (वार्ता)।

रियल्टी क्षेत्र को पटरी पर लाने और मांग बढ़ाने के लिए मध्यम वर्ग को अगले वित्त वर्ष के बजट में विशेष राहत दिये जाने की अपील करते हुए इस क्षेत्र ने किफायती आवास वर्ग को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिये जाने की उम्मीद जताई है।

गौड़ ग्रुप के प्रबंध निदेशक एवं क्रेडाई की किफायती आवास समिति के अध्यक्ष मनोज गौड़ ने कहा कि रियल्टी क्षेत्र को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जाना चाहिए। उन्होंने मध्यम आय वर्ग को

आवास खरीदने पर अधिक छूट दिये जाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि इस वर्ष बजट में आयकर छूट सीमा को मौजूदा 2.50 लाख रुपए से बढ़ाकर पांच लाख रुपए किया जाना चाहिए।

उद्योग संगठन एसोचैम की राष्ट्रीय परिषद (किफायती आवास) के अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल ने भी किफायती आवास क्षेत्र को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिये जाने की अपील की। अग्रवाल ने कहा कि



- रियल एस्टेट क्षेत्र के उद्यमियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की मांग
- आम आदमी को आयकर में ज्यादा छूट दिये जाने की भी वकालत की
- होम लोन लेने वालों को आयकर में छूट दिये जाने की भी मांग

आयकर में छूट की सीमा भी बढ़ाई जानी चाहिए।

क्रेडाई गाजियाबाद के अध्यक्ष गौरव गुप्ता ने कहा कि सिंगल विंडो क्लियरेंस की दिशा में कदम उठाने चाहिए और सीमेंट पर जीएसटी की दर को कम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आवास ऋण ब्याज पर मिलने वाली आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर चार लाख रुपए किए जाने की जरूरत है। ओमैक्स के सीईओ मोहित गोयल ने रियल्टी के लिए एक

बार ऋण पुनर्गठन का अवसर देने की अपील की।

हाउसिंग डेट काम, मकान डेट काम और प्राप टाइगर डेट काम ग्रुप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ध्रुव अगरवाला ने कहा कि इस क्षेत्र के लिए एक बार ऋण पुनर्गठन की अनुमति दिये जाने की आवश्यकता है।

साया होम्स के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक विकास भसीन ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अधिक धन आवंटन, भवन निर्माण सामग्री पर जीएसटी में कमी होनी चाहिए।